न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. मांगू सिंह पुत्र धनराज दरोगा
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र धन सिंह दरोगा
   निवासी जंजीला तह. परबतसर

1. तहसीलदार, परबतसर
2. हल्का पटवारी जंजीला
3. कैलाश सिंह पुत्र जेठूसिंह दरोगा
4. खेमसिंह पुत्र जेठूसिंह दरोगा
5. पप्पूकंवर पत्नी जेठूसिंह दरोगा
   निवासी जंजीला तह. परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री देवेन्द्र मालाकार अधिवक्ता प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण 3 से 5 स्वंय

मुकदमां नम्बर :– /2021 निर्णय दिनांक :– 11.11.2021

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जंजीला के खसरा नम्बर 707 रकबा 3.56 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या एक का नाम मानसिंह पुत्र धनिया तथा प्रार्थी संख्या दो का नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र धनिया खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम मांगू सिंह पुत्र धनराज है तथा प्रार्थी 2 का नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र धनसिंह है प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में इसी प्रकार से नाम दर्ज है केवल ग्रामीण परिवेक्ष में घर पर बोल चाल की भाषा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित हो गया है। जिससे प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प जंजीला में नियत की गई। जहां अप्रार्थी 3 से 5 ने इकबालिया जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। अप्रार्थी 1, 2 ने पत्रावली का अवलोकन कर पढ़ सुन समझ कर प्रकरण में राजहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया।

3. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजत का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानो एवं बहस पर मनन किया गया।

4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने ग्राम जंजीला की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम जंजीला के खसरा नम्बर 707 रकबा 3.56 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी 3 से 5 के साथ मानसिंह पुत्र धनिया व लक्ष्मणसिंह पुत्र धनिया दर्ज है जो प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण ने आधार कार्ड,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैक पासबुक की प्रति पेश की है जिसमें प्रार्थीगण का नाम मांगू सिंह पुत्र धनराज व लक्ष्मणसिंह पुत्र धनसिंह दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण 3 से 5 जो इस भूमि के सह खातेदार है तथा प्रार्थीगण की जाति के सदस्य है जिन्होने ने भी स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण का सही नाम मांगू सिंह पुत्र धनराज व लक्ष्मणसिंह पुत्र धनसिंह होना स्वीकार किया है तथा ग्राम के मौजीज व्यक्तियों ने शिविर में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य इसी होना स्वीकार किया है तथा प्रार्थीगण के नाम मांगूसिंह पुत्र धनराज व लक्ष्मणसिंह पुत्र धनसिंह के नाम से ही ग्राम में जाना जाता है, तथा नाम तदनुसार दुरूस्त किया जाता है तो किसी कोई आपत्ति नहीं है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम जंजीला के खसरा नम्बर 707 रकबा 3.56 हैक्टयर भूमि में दर्ज मानसिंह पुत्र धनिया एवं लक्ष्मणसिंह पुत्र धनिया के स्थान पर मांगूसिंह पुत्र धनराज व लक्ष्मणसिंह पुत्र धनसिंह दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प जंजीला में दिनांक 11.11.2021 को मजमे आम सुनाया गया।

11/11/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)